



सत्यमेव जयते

Rajasthan RERA

# राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,  
तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

फोन नं. - 0141-2851900 वेबसाईट - <http://rera.rajasthan.gov.in>


क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/1391

दिनांक 17.08.2020

## आदेश


दी रीयल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 37 एवं दी राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशनस्, 2017 के अनुच्छेद 23(3) के अन्तर्गत ऑथोरिटी को प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्देश जारी किया जाता है कि दिनांक 16-08-2019 को जारी किये गये आदेश क्रमांक 3080 के पैरा संख्या 1 एवं दिनांक 10-08-2020 को जारी किये गये आदेश क्रमांक 5900 के पैरा संख्या 1 द्वारा नये प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण पर अधिरोपित स्टेण्डर्ड फीस की अधिकतम सीमा, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, रुपये 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) होगी।

यह आदेश ऑथोरिटी के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है और यह आज से ही लागू होगा।

  
(रमेश चंद्र शर्मा)  
रजिस्ट्रार

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
3. अध्यक्ष, CREDAI, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, TODAR, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, RAHDA, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, CREDAI, NCR भिवाड़ी नीमराना, भिवाड़ी, राजस्थान।
7. वाइस चैयरमैन, RAJREDCO, जयपुर।
8. अध्यक्ष, रेरा एजुकेशनल एवं रिसोर्सेज फेडरेशन, जयपुर।
9. चैयरमैन, रेरा अवेयरनेस कमेटी, आईसीएआई, जयपुर ब्रांच, जयपुर।
10. चैयरमैन, रेरा कमेटी, टैक्स कन्सलटेन्टस् एसोसिएशन, जयपुर।
11. चीफ एडिटर, रेरा टाईम्स।
12. समस्त अधिकारी, राजस्थान रेरा।
13. रेरा वेबपोर्टल।
14. रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार